राजस्व वाद संख्या:– 82/2017
कैलाशचन्द बनाम हरिराम आदि
निर्णय दिनांक:– 13–07–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 82/2017

कैलाशचन्द पुत्र नारायणदास जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।

......................वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र मातुराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।
2. मणी देवी पुत्री मातुराम पत्नी फुलाराम जाति मेघवाल निवासी दुदवा तहसील सूरजगढ ।
3. किताबों पुत्री मातुराम पत्नी औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ऊण तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
4. विधा पुत्री मातुराम पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी धणुदा तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
5. विमला पुत्री मातुराम पत्नी रामफल जाति मेघवाल निवासी ऊण तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा।
6. बृजलाल पुत्र नारायणदास जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।
7. शंकर पुत्र शीशराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।
8. किताबों पत्नी शंकर जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना ।
9. कन्हैयालाल पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी धिधवा अथुना तहसील सूरजगढ (फौत)
   9/1 राकेश पुत्र कन्हैयालाल।
   9/2 सिलोचना पत्नी कन्हैयालाल।
10. धीसाराम पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी भालोठ तहसील बुहाना।
11. तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
12. राजेश कुमार पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना।
13. रामकुमार पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना।
14. सुरेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी अमरसर तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13–07–2022

(i) वादी की ओर से वाद पत्र रहा कि–

1. यह है कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है. खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है. खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. किता 4 रकबा 2.38 है. में वादी का 1/30 हिस्सा एवं 0.5640 है. अर्थात 0.65 है. रकबा है। जिस पर वादी शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज है। वादी का खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है. में 0.65 है. रकबा पर कब्जा है। वर्तमान में बाजरे की फसल कास्त कर रखी है।
2. यह ि कइस भूमि में मातुराम का हिस्सा 1/5 दर्ज है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उनके वारीसान है। प्रतिवादी संख्या 6 का इस भूमि में 2/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/10 हिस्सा है। सरती पत्नी शीशराम जिसके नाम से 0.0527 है. रकबा दर्ज है। उक्त सरती देवी की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 7 उसका वारीस है। प्रतिवादी संख्या 8 का खसरा नम्बर 815, 935/1 व 948 में 1/5 हिस्सा है। खसरा नम्बर 947 में प्रतिवादी संख्या 10 का 1/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/30 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 9 का इस भूमि में 1/30 व 0.15 है. व 0.267 है. रकबा है जो उसके खरीद किया है। प्रतिवादी संख्या 10 ने भी उपरोक्त वर्णित भूमि हिस्सा खरीद की गई है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि जिसमें वादी का 0.65 है. रकबा है। जिस पर वादी शांतिपूर्वक काबिज है। मौके पर खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है. के दक्षिणी तरफ के 0.65 है. रकबा पर शातिपूर्वक काबिज कास्त है। लेकिन रकबा प्रतिवादी संख्या 6 जो बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है उसके काफी मुकदमें भिन्न भिन्न न्यायालयों में लम्बित है।
4. यह कि वादी व प्रतिवादीगण मौके पर बाहमी बंटवारे से अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त है लेकिन उपरोक्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नही हुआ है।
5. यह कि वादी अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से मना कर दिया। इसलिए वादी का उक्त वाद न्यायालय श्रीमान जी में पेश करना आवश्यक हुआ है।
6. यह कि आधार विवाद वाद वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा दर्ज होने व उक्त भूमि का खाता सामलाती रहने से आये दिन आने वाली समस्याओं का सामना करने से पैदा हुआ है जो सावधि है वैसे भी खाता विभाजन हेतु कोई अवधि निर्धारित नही होती है।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि का विधिवत खाता विभाजन नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में झगड़ा होता रहता है [illegible] न्यायालय श्रीमान जी में पेश करना आवश्यक हुआ है।
8. यह कि वाद पत्र के समर्थन में वादी [illegible] के साथ संलग्न है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(क) वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. , खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. कित 4 कुल रकबा 2.38 है. में वादी का 1/30 हिस्सा व 0.5640 है. अर्थात कुल 0.65 है. रकबा का खाता विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जाकर लगान अलग कायम कर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें। तथा वादी को उसके कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 815 का दक्षिणी भाग विभाजनमें दिये जाने को प्राथमिकता दिये जाने की कृपा करे।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम बुहाना स्थित खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. , खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. कित 4 कुल रकबा 2.38 है. में वादी के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 815 के दक्षिणी अर्थात सड़क की तरफ के 0.65 है. रकबा में वादी के उपयोग उपभोग कब्जा कास्त करने दखल नही करे। वादी को अपने 0.65 है. रकबा में फसल कास्त करने गुडाई करने काटने या लाटने में कोई व्यवधान पैदा नही करे। ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही अपने परिवाजन से करवायें।

(ग) कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो वादी को दिलवाया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से श्री राजेन्द्र यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जबाव काफी समय नही दिये जाने पर जबाव बन्द किया जाता गया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा मय जबाव दावा एवं प्रतिदावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है।

प्रति0 स0 9 की और से काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार से पेश है कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. , खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. कित 4 कुल रकबा 2.38 है.में प्रतिवादी संख्या 9 का 0.25 है. भूमि का बाहमी बंटवारा व कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे। वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 809 रकबा 1.19 है. में प्रतिवादी संख्या 9 का 0.2029 है. भूमि का बाहमी बंटवारा व कब्जे कास्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, जमाबंदी सं. 2075–78 नक्शा ट्रेस एवं पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 17–06–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 30–06–2022 को प्राप्त हुई । वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने पर आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 08–07–2022 को प्राप्त हुए। उभय पक्षकरान ने निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. , खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. किता 4 कुल रकबा 2.38 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13-07-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)

दिनांक – 18/7/22

नोट– निर्णय व डिक्री दिनांक 13/7/2022 में खसरा नं. 737 के स्थान पर खसरा नं. 809 रकबा 1.19 है. को पढ़ा जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–82/2017
निर्णय दिनांक:– 13–07–2022

कैलाशचन्द **बनाम** हरिराम आदि

दावा बाबत –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 9 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी** एडवोकेट की उपस्थिति मे तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13–07–2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान** उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 947 रकबा 1.10 है. , खसरा नम्बर 948 रकबा 0.06 है. किता 4 कुल रकबा 2.38 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 13–07–2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दिनांक – 13/7/2022

नोट – निर्णय व डिक्री दिनांक 13/7/2022 में खसरा नं. 737 के खसरा 809 रकबा 1.19 हे0 भी पढ़ा जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)